न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी– हरि प्रसाद, (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6489

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–268/2026

उपेन्द्र पुत्र शिवचरन,
निवासी–ग्राम गोवा सतौरा थाना तालग्राम जनपद कन्नौज।

..........**प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उ०प्र० राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

मुकदमा अपराध संख्या–50/2025
धारा–85, 80(2) बी.एन.एस
धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–तालग्राम जनपद कन्नौज।

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **उपेन्द्र पुत्र शिवचरन** द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. ऊपर वर्णित अभियोग में जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे उपरोक्त मुकदमा में साज कर झूंठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतिका से कभी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही प्रताड़ित किया गया। विवाह के उपरान्त मृतिका के मृत्यु तक उसके परिवारीजनों अथवा वादी मुकदमा द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर या प्रताड़ित करने को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की गयी है। प्रार्थी अधिकतर अपनी पत्नी के साथ राजस्थान व गुजरात में रहता था। राजस्थान में रहने के दौरान प्रार्थी की पत्नी का भाई अपने साथ काम करने का दबाव बनाता था तथा पैसे मांगता था जिससे वह परेशान रहती थी जिस कारण प्रार्थी की पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी जिसके कारण प्रार्थी की पत्नी ने दिनांक 28.02.2025 को आत्महत्या कर ली। प्रार्थी घटना के समय अपने खेत पर मौजूद था। सूचना पाकर प्रार्थी मौके पर आ गया तथा मृतिका के मायके वालो को सूचना दी। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसकी पुत्री को फांसी लगाकर मार डालने का कथन किया गया जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Asphyxia Due to antemorterm hanging आया है जिससे स्पष्ट है मृतिका ने आत्महत्या की थी। प्रार्थी दिनांक 05.03.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों पर अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विरोध किया गया तथा कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही घृणित अपराध है। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री की दहेज हत्या की है।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.10 14:55:27 IST
Reason: BAIL REJECTED
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

4. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी सुरेश चन्द्र ने एक तहरीर थाना तालग्राम में इस आशय की प्रस्तुत की है कि उसने अपनी पुत्री शिवारती की शादी सम्पूर्ण दान दहेज़ देकर उपेन्द्र पुत्र शिव चरण, निवासी ग्राम गोवा, थाना तालग्राम से दिनांक 12.06.2023 को की थी। शादी के बाद ही उसकी पुत्री की ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज़ में बाइक व एक लाख रूपए की माँग करने लगे। माँग पूरी न होने पर ससुराल वाले उसकी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। ससुराल वालों में उपेन्द्र, शिव चरण, रीना देवी, अमरवती व चेतराम है। दिनांक 28.02.2025 को उसे सूचना मिली कि उसकी पुत्री को उपरोक्त लोगों ने मिलकर फाँसी लगाकर मार दिया। वह जब मौके पर आया तो सारे लोग फ़रार हो चुके थे। कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई। वादी की तहरीर के आधार पर उपरोक्त अपराध संख्या पर उपरोक्त धाराओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण उपेन्द्र, शिव चरण, रीना देवी, चेतराम व अमरवती के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण उपेन्द्र, शिव चरण, रीना देवी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी तथा अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज़ में एक लाख रूपए व बाइक की माँग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने व दहेज़ मृत्यु कारित करने का आरोप है। केस डायरी में मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न है जिसमें मृतका के गले में अपूर्ण लीग्रेचर मार्क पाया गया है तथा मृत्यु का कारण Asphyxia Due to Antemortem Hanging बताया गया है। वादी की पुत्री की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तगण के घर पर हुई है। अभियुक्त मृतका का पति है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। **सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कन्नौज द्वारा दिनांक 20.05.2025 को हो चुकी है।** अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–50/2025 अंतर्गत धारा 80(2),85 भारतीय न्याय संहिता, धारा 3/4 दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, थाना तालग्राम, ज़िला कन्नौज के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **उपेन्द्र** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–09.03.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1 कन्नौज।
(J.O.CODE No–UP 6489)